

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आघ्यासित)
 प्रकरण संख्या: 125./2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
 दायरा दिनांक: 6.7.2023
 अन्तर्गत धारा: 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

कान्हा पुत्र धन्नालाल जाति अहीर निवासी कोला तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा-राज0।

बनाम

...अपीलार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री रामबाबू मालव अभिभाषक -अपीलार्थी
 पैरोकार सरकार-रेस्पोंड



::निर्णय::

दिनांक 22.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 23/2022 (अपील) अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान कान्हा बनाम जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी मे पारित निर्णय दिनांक 13.6.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 14.2.2022 को निर्णय पारित कर ग्राम कोला की भूमि खसरा संख्या 366 रकबा 0.32 है0 किस्म चरागाह पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखली व राशि 100/-शास्ति एवं 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर कोटा मे पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 13.6.2022 को आंशिक स्वीकार की जाकर सर्शत रिमांड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.6.2022 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि नियमों एवं स्रग्रह सार के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ, विचारणीय न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई व जवाब का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जो कतई खिलाफ कानून है क्योंकि अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा दिया है भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करेगा एवं तावान की राशि जमा करादी गई है। भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करने, कब्जा छोडने संबधी शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे देने को तत्पर है तथा अपील के साथ भी कब्जा छोडने संबधी शपथ पत्र पेश कर रहा है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का कम पढा लिखा व्यक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे अपीलांट विचारण न्यायालय मे शपथ पत्र प्रस्तुत

37
 अति. स. आयुक्त
 कोटा

Institution
रज.
1921 22/5/22


ही कर पाने के कारण अपीलान्ट के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये गये। अपीलान्ट की उक्त त्रुटि सद्भाविक होने से क्षम्य है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पीडित पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर कब्जा छोड़ने बावत शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलान्ट को सर्वप्रथम जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.6.2022 को संशोधित किया जाकर अपीलान्ट को शपथ पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुये विचारण न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का आदेश दिनांक 14.2.2022 निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंड को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ, विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व जवाब का अवसर दिये बिना पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून है क्योंकि अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा एवं तावान की राशि जमा करादी गई है। उक्त आशय का शपथ पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय में देने को तत्पर है अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दी गई इस कारण अपीलान्ट विचारण न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण अपीलान्ट की गिरा वारंट जारी कर दिये गये। अपीलान्ट की उक्त त्रुटि सद्भावी होने से क्षम्य है। अधिवक्ता की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.6.2022 को संशोधित किया जाकर अपीलान्ट को शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये विचारण न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का आदेश दिनांक 14.2.2022 निरस्त किया जावे।
- 4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।
- 5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलान्ट द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा० पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पोंड पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नहीं किया तथा ना ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया ऐसी स्थिति में शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली में कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है। लिहाजा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।
- 6 हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को ग्राम कोला की भूमि खसरा नं० 366 की 0.32 है० किस्म चरागाह पर तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखली व राशि 100/-रूपये शास्ति एवं 1 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का दिनांक 14.2.2022 को निर्णय पारित किया गया जिसकी प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश होने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस की प्रोपर तामील नहीं होने तथा अपीलार्थी द्वारा जुर्माना राशि जमा करा दिया जाना तथा कब्जा नहीं होना अंकित करते हुये भविष्य में उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं करने बावत विचारण न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर

3
श्री. र. प्रमोद
का

उत्पर होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को निर्णय दिनांक 13.6.2022 से आंशिक स्वीकार कर इस आशय के साथ सशत रिमांड किया है कि " विवादित आराजी ख0 नं0 366 की रकबा 0.32 है0 किस्म चरागाह से कब्जा हटा लिया हो, तथा भविष्य में कमी कब्जा नहीं करने बावत विचारण न्यायालय में शपथ पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार स्वयं अथवा भू अभिलेख निरीक्षक से करावे, जिसमें यह साबित हो जाए की अपीलांट/अतिकमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा, यदि मौके पर अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा। तसीलदार रामगंजमण्डी अपीलार्थी को नियमानुसार उक्त सजा भुगतायेगा। अन्य आदेश जुर्माना वगैरा यथावत रहेगा। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में पेश की गयी जिसमें उसका मुख्य तर्क है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उसके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई इस कारण आदेश की पालना में अपीलांट विचारण न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलांट की उक्त त्रुटि सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.6.2022 संशोधित करते हुये अपीलांट को शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। हस्तगत अपील प्रकरण में ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को उसके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई हो? जिसके कारण अपीलाधीन आदेश की पालना में विचारण न्यायालय में वह शपथ पत्र पेश नहीं कर पाया हो। समुचित आधार अभिलेख के अभाव में अपीलांट का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की गुजाइश नहीं पाते है। फलत् अपील अपीलांट खारिज योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

- 7 निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।


(बृजमोहन बैरवा)
अतिरिक्त न्यायाधीश
कच्छेडा